2025/19

निर्णय 10.2.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

दित्य बनाम बनवारी आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 29 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15.01.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.01.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	दित्य
21.01.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] ने जरिये वकील प्रमोद [illegible] उपस्थित आकर इकबाल दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 24.01.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	वादीअधि. बनवारी पन्नालाल मोहन कुसुम पत्नी धर्मेन्द्र
24.01.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित/PO महोदय अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब दिनांक 10.2.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10.2.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। स्टेट जवाब पेश हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध इकबाल दावा व वादी प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद [illegible] किया जाता है। डिक्री विवरण [illegible] बनाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली नतीजे से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.02.17 20:06:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 29 / 2025 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट
दित्य पुत्र श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी खेतरपाल मंदिर के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

–वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. चन्द्रकला पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. मौसम पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी खेतरपाल मंदिर के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. कुसुम पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी खेतरपाल मंदिर के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री रामनिवास गोदारा वकील–वादी
श्री धमेन्द्र मटोरिया वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक– 10.2.2025

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:–

1. वादी दित्य को चक नम्बर 11 के.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 146 / 413(15) किला नम्बर 12, 13, 14 की 0.7590 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 147 / 413(16) किला नम्बर 9, 10, 11 की 0.7590 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1.5180 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी को चक नम्बर 11 के.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 146 / 413(15) किला नम्बर 15 ता 18 की 1.0120 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 149 / 413(18) किला नम्बर 21, 22 की 0.5060 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 149 / 414(21) किला नम्बर 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 2 / 2, 3 / 1, 3 / 2 की 0.7590 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 2.2770 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला कृषि भूमि का,
3. प्रतिवादी संख्या 2 चन्द्रकला को चक नम्बर 11 के.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 147 / 414(23) किला नम्बर 1, 10, 11 की 0.7590 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 147 / 413(16) किला नम्बर 20, 21 की 0.5060 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1.2650 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कि[illegible] खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें। आज यह पर्चा डिकी हमा[illegible] से आज दिनांक 10/2/25 ......को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.02.17 20:06:24 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर